

18 01
2024

फत्रावली पिशा हुई कळील उच्च पक्षकारान उपस्थित।
पैरीकार सरकार ने जवाब उस्तुत ज्वे हेतु ठावता
याठ जो दिना जाता है। फत्रावली वास्तुत जवाब पैरीकार
सरकार दिनांक 13/02/2024 को पिशा है।

3.7.24

13 02
2024

फत्रावली पिशा हुई उच्च पक्षकारान उपस्थित। पैरीकार
सरकार लहरीलदार वाचताया ने फत्र हुमांक / रीडर / रिपोरि
12023/1413 दिनांक 12/10/2023 से जवाब उस्तुत किया
जो शाकलाव है। जवाब की एक प्रति कळील जार्जी के
दिलार गई। कळील जार्जी ने अफक धारा-136 का
दुरुस्ती पर आज ही बरस करने का निवेदन किया। कळील
जार्जी द्वारा बरस सुनार गई। उच्च पक्ष को पुन जमा। जार्जी
कळील की बरस पर मक किया गया। फत्रावली में शामिल
दस्तावेजों व अफक धारा-136 में अंकित तथ्यों का
अवलोकन कर गहनता से मक किया गया। कळील जार्जी
द्वारा बरस है दौरान की गई दलीलों से हम संतुष्ट
हैं। कळील जार्जी द्वारा उस्तुत अफक धारा-136 का
अधीकार अग्रम पाया जाता है। जार्जी को अफक धारा-136
का अधीकार अग्रम पाए जाने से अधीकार किया जाकर
निर्गम पुधल से लिखाया गकर खुले न्यायालय की
उपलास में पुनूया गया। फत्रावली कळील शुमार होकर
दर अजिर-22 से कम किया गकर शामिल दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)